राजस्व वाद संख्या 65—2018
जीसीएमएस नंबर 2018/00098
कौशल्या बनाम् रामचन्द्र वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :— रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 65/2018

वादीगण—

1. कौशल्या पुत्री सोहनदास
जाति—साद,निवासीगण—ईग्यार ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण —

1. सत्यनारायण पुत्र सोहनदास
2. रामचन्द्र पुत्र सोहनदास
3. बाया देवी पुत्री सोहनदास
जातियान—साद, निवासीगण ईग्यार, तहसील—जायल,जिला—नागौर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :—

1. श्री शिवकुमार पारासर अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री चन्द्राराम बिडियासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार जायल राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 21/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवंतथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा ईग्यार तहसील जायल में खेत खसरा नं. 109 रकबा 12.03 बीघा, खसरा नंबर 117 रकबा 8.12 बीघा, खसरा नंबर 508 रकबा 14.18 बीघा , खसरा नंबर 518 रकबा 29.17 बीघा रहती चली आई है। वादीनी के पिता सोहनदास के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने सोहनदास के खातेदारी के खेताय में पटवारी हल्का के साथ मिलकर खेतायों के फौतगी नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 ओर 2 ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर लिया जिसमें जानबुझकर वादीनी एवं प्रतिवादी 1 से 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में में जरिये फौतगी नामान्तकरण के नाम इन्द्राज नहीं किया जबकि वादीनी तथा प्रतिवादी संख्या 3 , स्वर्गीय सोहनदास जी की पुत्रिया है तथा स्वर्गीय खाजुदासजी की पौत्रियां है, इन दोनों का भी विवादित खेतायों में बराबर हक हिस्सा एवं खातेदारी अधिकार है, विवादित खेतायों में 1/4 हिस्सा वादीनी एवं 1/4— 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का है। खेतायों का बंटवाड़ा बाई एण्ड बाउण्डस से करवाने हेतु वाद माननीय न्यायलय को प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

21/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद संख्या 65–2018
जीसीएमएस नंबर 2018/00098
कौशल्या बनाम् रामचन्द्र वगैरह

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी की ओर से श्री शिवकुमार पारासर एवं प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पहचान अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर के द्वारा की गई। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से ईकबाली जबाब पेश किया गया जो बाद शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में राजपैरोकार एवं तहसीलदार जायल का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त है जो बावजूद सूचना एवं तामिल के गैर हाजिर/अनुपस्थित रहे। आवजे लगवाई गई परन्तु कोई पक्षकार हाजिर नहीं हुवे अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 5 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र कौशल्या पुत्री सोहनदास एवं प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से ईकबाली जबाब पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम ईग्यार तहसील–जायल सम्वत् 2070–2073 खाता संख्या 376 प्रर्दश–1, नकल जमाबंदी ग्राम ईग्यार तहसील जायल सम्वत् 2026 से 2029 खाता संख्या 32 प्रर्दश–2 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक वर्णित पैराज अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया क्यों कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे इसलिये उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है तथा हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 3 ने हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित अनुतोष पैरा संख्या 9 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीनी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार जायल राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में वादीनी के पिता सोहनदास के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने सोहनदास के खातेदारी के खेताय में पटवारी हल्का के साथ मिलकर खेतायों के फौतगी नामान्तरण

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

प्रतिवादी संख्या 1 ओर 2 ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करा लिये जिसमें जानबुझकर वादीनी एवं प्रतिवादी 1 से 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में में जरिये फौतगी नामान्तकरण के नाम इन्द्राज नहीं किया जबकि वादीनी तथा प्रतिवादी संख्या 3,स्वर्गीय सोहनदास जी की पुत्रिया है तथा स्वर्गीय खाजुदासजी की पौत्रियां है, इन दोनों का भी विवादित खेतायों में बराबर हक हिस्सा एवं खातेदारी अधिकार है, विवादित खेतायों में 1/4 हिस्सा वादीनी एवं 1/4– 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का है । जिसके अनुसार वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बाया देवी उर्फ नर्बदा अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है।

प्रकरण हाजा में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 3 सोहनदास जी की पुत्रियां एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की बहने है जो कि मौजा डिडिया कलां के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार होकर अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, इसलिये मौजा ईग्यार के खेत खसरा नंबर 109,117,508,518 में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा **बाई मिटस एवं बाउण्ड** चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक दिनांक 24.08.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 24.08.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 3556 दिनांक 24.5.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, मौके पर कोई वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुवे इसलिये उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर बाई मिटस् एंड बाउण्डस पटवार हल्का अड़वड़ तथा भू.अभि.निरीक्षक लुणसरा द्वारा तैयार किया गया जिसकी सम्पुष्टि की पटवार हल्का एवं भू.अभि.निरीक्षक की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। अतः भूमि मौजा ईग्यार तहसील जायल में खेत खसरा नं. 109 रकबा 12.03 बीघा, खसरा नंबर 117 रकबा 8.12 बीघा, खसरा नंबर 508 रकबा 14.18 बीघा , खसरा नंबर 518 रकबा 29.17 बीघा वादीनी कौशल्या एवं प्रतिवादी संख्या 2 बाया देवी को प्रतिवादी संख्या 1, 2 के साथ सहखातेदार घोषित कर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर जाता है, मौजा ईग्यार तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 109,117,508,518 में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को वादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादीनी कौशल्या पुत्री सोहनदास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ईग्यार का खेत खसरा नंबर 518 में से 1.2080 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खेत खसरा नंबर 508 में से 0.6029 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खेत खसरा नंबर 117 में से 0.3480 हैक्टैयर पूर्वी भाग, खेत खसरा नंबर 1127/109 में से 0.4825 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

राजस्व वाद संख्या 65—2018
जीसीएमएस नंबर 2018 / 00098
कौशल्या बनाम् रामचन्द्र वगैरह

2. प्रतिवादी सत्यनारायण पुत्र सोहनदास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ईग्यार का खेत खसरा नंबर 518 में से 1.2080 हैक्टेयर उतर से दूसरा, खेत खसरा नंबर 508 में से 0.6030 हैक्टेयर उतर से दूसरा भाग, खेत खसरा नंबर 117 में से 0.3480 हैक्टैयर पश्चिम से दूसरा भाग, खेत खसरा नंबर 1127 / 109 में से 0.4824 हैक्टेयर पश्चिम से दूसरा भाग नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी रामचन्द्र पुत्र सोहनदास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ईग्यार का खेत खसरा नंबर 518 में से 1.2080 हैक्टेयर दक्षिण से दूसरा भाग, खेत खसरा नंबर 508 में से 0.6030 हैक्टेयर दक्षिण से दूसरा भाग, खेत खसरा नंबर 117 में से 0.3480 हैक्टैयर पूर्व से दूसरा भाग, खेत खसरा नंबर 1127 / 109 में से 0.4825 हैक्टेयर पूर्व से दूसरा भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी बाया देवी पुत्री सोहनदास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ईग्यार का खेत खसरा नंबर 518 में से 1.2079 हैक्टेयर उतरी भाग, खेत खसरा नंबर 508 में से 0.6030 हैक्टेयर उतरी भाग, खेत खसरा नंबर 117 में से 0.3481 हैक्टैयर पश्चिमी भाग, खेत खसरा नंबर 1127 / 109 में से 0.4824 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. कौशल्या 1 / 4, बाया देवी 1 / 4, पुत्रिया सोहनदास, सत्यनारायण 1 / 4, रामचन्द्र 1 / 4 पुत्रगण सोहनलाल जाति साद सा ईग्यार के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ईग्यार के खेत खसरा नंबर 1126 / 109 में से रकबा 0.0370 हैक्टेयर संयुक्त रास्ते हेतु रखा गया है।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व वाद संख्या 65–2018
जीसीएमएस नंबर 2018 / 00098
कौशल्या बनाम् रामचन्द्र वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 65 / 2018

वादीगण–

1. कौशल्या पुत्री सोहनदास, जाति–साद,निवासीगण–ईग्यार ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. सत्यनारायण पुत्र सोहनदास
2. रामचन्द्र पुत्र सोहनदास
3. बाया देवी पुत्री सोहनदास, जातियान–साद, निवासीगण ईग्यार, तहसील–जायल।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री चन्द्राराम बिडियासर अधिवक्ता वादीनी की ओर से
2. श्री चन्द्राराम बिडियासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार जायल राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

— : : डिक्री आदेश : : —

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री चन्द्राराम बिडियासर अधिवक्ता वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर जाता है, मौजा ईग्यार तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरान. 109,117,508,518 में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को वादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादीनी कौशल्या पुत्री सोहनदास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ईग्यार का खेत खसरा नंबर 518 में से 1.2080 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खेत खसरा नंबर 508 में से 0.6029 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खेत खसरा नंबर 117 में से 0.3480 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खेत खसरा नंबर 1127 / 109 में से 0.4825 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी सत्यनारायण पुत्र सोहनदास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ईग्यार का खेत खसरा नंबर 518 में से 1.2080 हैक्टेयर उतर से दूसरा, खेत खसरा नंबर 508 में से 0.6030 हैक्टेयर उतर से दूसरा भाग, खेत खसरा नंबर 117 में से 0.3480 हैक्टेयर पश्चिम से दूसरा भाग, खेत खसरा नंबर 1127 / 109 में से 0.4824 हैक्टेयर पश्चिम से दूसरा भाग नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी रामचन्द्र पुत्र सोहनदास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ईग्यार का खेत खसरा नंबर 518 में से 1.2080 हैक्टेयर दक्षिण से दूसरा भाग, खेत खसरा नंबर 508 में से 0.6030

21/6/2022

हैक्टेयर दक्षिण से दूसरा भाग, खेत खसरा नंबर 117 में से 0.3480 हैक्टैयर पूर्व से दूसरा भाग, खेत खसरा नंबर 1127 / 109 में से 0.4825 हैक्टेयर पूर्व से दूसरा भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

4. प्रतिवादी बाया देवी पुत्री सोहनदास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ईग्यार का खेत खसरा नंबर 518 में से 1.2079 हैक्टेयर उतरी भाग, खेत खसरा नंबर 508 में से 0.6030 हैक्टेयर उतरी भाग, खेत खसरा नंबर 117 में से 0.3481 हैक्टैयर पश्चिमी भाग, खेत खसरा नंबर 1127 / 109 में से 0.4824 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. कौशल्या 1 / 4, बाया देवी 1 / 4, पुत्रिया सोहनदास, सत्यनारायण 1 / 4, रामचन्द्र 1 / 4 पुत्रगण सोहनलाल जाति साद सा ईग्यार के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ईग्यार के खेत खसरा नंबर 1126 / 109 में से रकबा 0.0370 हैक्टेयर संयुक्त रास्ते हेतु रखा गया है।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)